लय सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी / उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजसमन्द

संख्या - .... शीर्षक .... बनाम ....

ांक	कार्यवाही प्रकरण	हस्ताक्षर/ सूचना नं.
	प्रा.प. दर्ज रजिस्टर कर सम्मन बनाम मुद्दा / मय नकल ...128... नोटिस जारी कर वास्ते जवाब दि. ...30.05.25... को पेश हो। सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) राजसमन्द	
	30.05.25 पत्रा० पेश हुई। अधि० प्रार्थी उप०। विपक्षी पेरोकार उप०। पत्थरगढ़ी हेतु आपत्ति नहीं होना अंकित किया पत्रा० दि० 06.06.25 को पेश हो।	पड़ौसी खातेदारों को मौके पर पत्थरगढ़ी हेतु सूचित करा पत्थरगढ़ी किये जाने पर आपत्ति नहीं है। पेशकार
	06.06.25 पत्रा० पेश हुई। अधि० प्रार्थी उप०। विपक्षी पेरोकार उप०। विपक्षी पेरोकार द्वारा पत्थरगढ़ी में आपत्ति नहीं होना जाहिर किया अधि० प्रार्थी ने प्रकरण निस्तारण हेतु निवेदन किया। विस्तृत निर्णय आदेश पृथक से लिखवाया जाकर शा० फा० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कमी हो।	

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी का नाम — बृजेश गुप्ता (R.A.S)
मुकदमा नम्बर — 46/2025
किस्म मुकदमा — प्रार्थना पत्र
दायर दिनांक — 28.03.2025
निर्णय दिनांक — 6/6/25

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द सत्यमेव जयते

अनवान

1. श्री गणेश पिता रामा जी गुर्जर उम्र वयस्क निवासी बासनी तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द
2. श्री गोपाल पिता प्रताप जी गुर्जर उम्र वयस्क निवासी बासनी तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द
3. श्री नेनी पिता प्रताप जी गुर्जर उम्र वयस्क निवासी बासनी तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द
4. श्री भंवरलाल पिता रामा जी गुर्जर उम्र वयस्क निवासी बासनी तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द
5. श्री भोलीराम पिता रामा जी गुर्जर उम्र वयस्क निवासी बासनी तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द
6. मुस्मात राजी पत्नी प्रताप जी गुर्जर उम्र वयस्क निवासी बासनी तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द
7. श्रीमती मोहनी बाई पुत्री रामा जी गुर्जर उम्र वयस्क निवासी बासनी तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द।

......................प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय कुंवारिया, तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द।

......................विपक्षी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित
अधिवक्ता प्रार्थीगण — श्री मुकेश तलेसरा
विपक्षी — पेरोकार राज

<u>निर्णय</u>

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम 1956 पत्थरगढी कराने बाबत् पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम बासनी पटवार हल्का खटामला तहसील कुंवारिया के आराजी संख्या 654 रकबा 0.0567 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की है। प्रार्थीगण की भूमि के पड़ौसी अवैध रूप से अतिक्रमण कर उक्त भूमि पर नाजायज कब्जा करना चाहते हैं व सीमा विवाद पैदा करने पर आमादा है। राज्य सरकार द्वारा इससे लगती हुई जमीन पर मौके पर न्यायालय के आदेश के पश्चात् भी अवैध रूप से सडक निर्मित करने हेतु आमादा हो रही है। विपक्षी उक्त कृत्य को देखते हुए प्रार्थीगण की कृषि भूमि आराजी नम्बर 654 रकबा 0.0567 का जो सीमा विवाद है, उसका निस्तारण आप न्यायालय द्वारा पत्थरगढ़ी के आदेश से ही संभव है, जिससे कि विवाद का स्थायी रूप से निस्तारण हो सके। इस हेतु प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 654 रकबा 0. 0567 का सीमांकन कर पत्थरगढ़ी करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उक्त आराजी में खातेदारी हंजा बाई पुत्री प्रताप जी होकर उसका स्वर्गवास हो चुका है, जो लाऔलाद फौत हुई है उसका हिस्सा भी प्रार्थीगण में ही हिस्सा निहीत है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त वर्णित भूमि के सम्बन्ध में पत्थरगढी किये जाने का आदेश

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

फरमाया जावे तथा पत्थरगढ़ी एवं सीमांकन करने हेतु तहसीलदार, तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द को आदेशित किया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी की और से पेरोकार सरकार ने उपस्थिति दी। पेरोकार सरकार द्वारा पत्रावली पर यह नोट अंकित किया गया कि "मौके पर पडौसी खातेदारान् को उपस्थित रहने हेतु सूचित करा पत्थरगढी किया जाना उचित है"

हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस को सुना दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित बिन्दुओ को दौहराते हुए कथन किया कि राजस्व ग्राम बासनी पटवार हल्का खटामला तहसील कुंवारिया के आराजी संख्या 654 रकबा 0.0567 हैक्टेयर कृषि भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं स्वामित्व आधिपत्य की है। प्रार्थीगण आये दिन होने वाले सीमा विवाद के निस्तारण हेतु अपनी उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त भूमि का पत्थरगढी आदेश प्रदान करे।

हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस को सुनकर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज ग्राम बासनी की जमाबन्दी सम्वत 2077–2077 आराजी संख्या 654 रकबा 0.0654 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की सहखातेदारी में दर्ज रिकार्ड है उक्त आराजी निर्विवादित रूप से प्रार्थीगण की की होकर प्रार्थीगण पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनिम 1956 बाबत् पत्थरगढी स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार कुंवारिया को कमिश्नर शुल्क राशि 2000/– रू पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौके पर निर्माण नही हो एवं किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो कब्जे को डिस्टर्ब किये बिना राजस्व ग्राम बासनी पटवार हल्का खटामला तहसील कुंवारिया के आराजी संख्या 654 रकबा 0.0567 हैक्टेयर कृषि भूमि की नियमानुसार सीमा जानकारी कराते हुए विधिसम्मत पत्थरगढी की कार्यवाही करावे यदि मौके पर कब्जे को लेकर विवाद हो तो पत्थरगढी नहीं करा पर्चा मौका तैयार कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे। कमिश्नर शुल्क प्रार्थी अदा करे। तहसीलदार राजसमन्द को तहरीर जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कमी की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

बृजेश गुप्ता (R.A.S)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
राजसमंद

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

उक्त आदेश आज दिनांक 6.6.25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की गोल मोहर से जारी किया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
राजसमंद

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
राजसमन्द